राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ.6(261)परि/टैक्स/एच.क्यू./2004/6 एल   जयपुर, दिनांक :14.09.2004

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की (समय–समय पर यथा–संशोधित) अधिसूचना सं. एफ. 6 (179)/परि./टैक्स/एच.क्यू./95/6 जे, दिनांक 17.05.2001 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 2 में विनिर्दिष्ट, किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन से भिन्न राज्य की मंजिली गाड़ियों पर विशेष सड़क कर की दर इसके द्वारा इसके स्तंभ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है :–

<u>सारणी</u>

<u>क्र.सं.</u>	<u>परिवहन यान का वर्णन</u>	<u>विशेष सड़क कर की मासिक दर</u>
<u>1.</u>	<u>2.</u>	<u>3.</u>
1.	मंजिली गाडियाँ (अनन्य रूप से नगरपालिक या नगर सुधार–न्यास दोंनो के क्षेत्र/उप–नगरीय मार्गों/ग्रामीण मार्गों के भीतर चलने वाली गाडियों से भिन्न)	
	(i) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 45 तक की सीट क्षमता वाली	
	(क) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 100 कि.मी. तक हो, यदि	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	चैसिस की लागत का 0.430 :
	(ii) यान के रूप में क्रय की गयी हो	यान की लागत का 0.301 :
	(ख) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 100 कि.मी. से अधिक किन्तु 200 कि.मी. से अनधिक हो, यदि	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	चैसिस की लागत का 0.730 :
	(ii) यान के रूप में क्रय की गयी हो	यान की लागत का 0.511 :
	(ग) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. से अधिक किन्तु 240 कि.मी. से अनधिक हो, यदि–	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	चैसिस की लागत का 1.120 :

	(ii) यान के रूप में क्रय की गयी हो	यान की लागत का 0.784 :
(घ)	सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 240 कि.मी. से अधिक किन्तु 320 कि.मी. से अनधिक हो, यदि	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	चैसिस की लागत का 1.460 :
	(ii) यान के रूप में क्रय की गयी हो	यान की लागत का 1.022 :
(ङ)	सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 320 कि.मी. से अधिक किन्तु 400 कि.मी. से अनधिक हो, यदि–	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	चैसिस की लागत का 1.720 :
	(ii) यान के रूप में क्रय की गयी हो	यान की लागत का 1.204 :
(च)	सेवा के लिए एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 400 कि.मी. से अधिक हो, यदि–	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	चैसिस की लागत का 2.150 :
	(ii) यान के रूप में क्रय की गयी हो	यान की लागत का 1.505 :
(i)	<u>ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 45 से अधिक की सीट क्षमता वाली</u>	
(क)	सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 100 कि.मी. तक हो, यदि–	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	चैसिस की लागत का 0.520 :
	(ii) यान के रूप में क्रय की गयी हो	यान की लागत का 0.364 :
(ख)	सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 100 कि.मी. से अधिक किन्तु 200 कि.मी. से अनधिक हो, यदि	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	चैसिस की लागत का 0.950 :
	(ii) यान के रूप में क्रय की गयी हो	यान की लागत का 0.665 :

(ग)	सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. से अधिक किन्तु 240 कि.मी. से अनधिक हो, यदि–	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	चैसिस की लागत का 1.380 :
	(ii) यान के रूप में क्रय की गयी हो	यान की लागत का 0.966 :
(घ)	सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 240 कि.मी. से अधिक किन्तु 320 कि.मी. से अनधिक हो, यदि–	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	चैसिस की लागत का 1.940 :
	(ii) यान के रूप में क्रय की गयी हो	यान की लागत का 1.358 :
(ङ)	सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 320 कि.मी. से अधिक किन्तु 400 कि.मी. से अनधिक हो, यदि–	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	चैसिस की लागत का 2.370 :
	(ii) यान के रूप में क्रय की गयी हो	यान की लागत का 1.659 :
(च)	सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 400 कि.मी. से अधिक हो, यदि	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	चैसिस की लागत का 2.800 :
	(ii) यान के रूप में क्रय की गयी हो	यान की लागत का 1.960 :

परन्तु–

(i) ड्राइवर और कण्डक्टर को सम्मिलित करते हुए 30 तक की सीट क्षमता वाले ऐसे यानों के मामले में, जो दो नगरपालिकाओं के बीच पड़ने वाले मार्गों पर एक दिन में 40 कि.मी. तक चलते हों और मार्ग की लम्बाई 10 कि.मी. से अधिक नहीं हो, उपर्युक्त स्तम्भ सं. 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर संदेय विशेष सड़क कर 700/– रु. से अधिक नहीं होगा ;

(ii) ऊपर यथा–उल्लिखित कोई भी ऐसी मंजिली गाड़ी यदि मोटर यान अधिनियम, 1988 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसे अनुज्ञात ट्रिप/ट्रिपों से भिन्न किसी भी ट्रिप पर चलती हुई पायी जाये तो ऐसी मंजिली गाड़ी उस प्रवर्ग, जिसके लिए उसे चलने के लिए अनुज्ञात किया गया है, के सामने विनिर्दिष्ट दर से सम्पूर्ण मास के लिए अतिरिक्त विशेष सड़क कर संदत्त करने की दायी होगी ;

(iii) नये परमिट अभिप्राप्त करने वाले यानों के मामले में कर, परमिट जारी करने की तारीख से मास की शेष कालावधि के लिए आनुपातिक आधार पर अग्रिम रूप से संदेय होगा और परमिट जारी किये जाने के समय जमा कराया जायेगा ;

(पअ) ऐसे मंजिली गाड़ी मार्गों पर, जो राजस्थान मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2004 के प्रारम्भ के पूर्व ''ग'' वर्ग मार्गों के रूप में घोषित किये गये थे, एक दिन में 200 कि.मी तक चलने वाले यानों के मामले में उपर्युक्त स्तम्भ सं. 3 में विनिर्दिष्ट विशेष सड़क कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:—

(क) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 45 सीट तक की क्षमता वाले यानों के लिए वित्तीय वर्ष 2004—2005 के लिए 2000/— रु. ;

(ख) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 45 सीट से अधिक की क्षमता वाले यानों के लिए वित्तीय वर्ष 2004—2005 के लिए 2250/— रु.;

(v) ऐसे यानों के मामले में, जो ऐसे मंजिली गाड़ी मार्गों पर, जो राजस्थान मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2004 के प्रारम्भ के पूर्व ''ग'' वर्ग मार्गों के रूप में घोषित किये गये थे, एक दिन में 200 कि.मी. से अधिक चलते हों, मासिक विशेष सड़क कर के रूप में संदेय रकम, वित्तीय वर्ष 2004—2005 के लिए, उपर्युक्त स्तम्भ सं. 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित रकम से 20: कम होगी।

(vi) किसी मोटर यान के स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति जो इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व की किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जायेगी, जो समय—समय पर ऐसे यानों पर लागू थी ।

स्पष्टीकरण :—कर की संगणना के लिए यान/चैसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन बतायी गयी हो ।

राज्यपाल के आदेश से
शासन उप सचिव